न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—134/2019/223 (2019/00134)

1. शान्तिदेवी पत्नि स्व0 भंवरलाल पुत्री स्व0 रामलाल, जाति अहिर (यादव) नि0 भाट मौहल्ला, चन्द्रा कॉलोनी, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. लालू पुत्र स्व0 रामलाल, जाति अहिर (यादव), निवासी भाट मौहल्ला, तेजाजी का चौक, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजममेर ।
2. एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा, जयपुर जरिये प्रबंधक ।
3. तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
4. उप पंजीयक, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 30.1.2017 प्रकरण संख्या 95/2013.

उपस्थितः—

1. श्री रामदेव गुर्जर, वकील अपीलांट।
2. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3 व 4

निर्णय

दिनांकः— 17.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय दिनांक 30.1. 2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादिया ने अधी0न्याया0 में वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राज0काश्त0अधि0 का पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट/वादिया के स्व0 दादा मांगू की ग्राम सांवतसर, पटवार क्षैत्र सांवतसर के वर्तमान खसरा नंबर 389 रकबा 10 बिस्वा चाह एवं खसरा नंबर 390 रकबा 110 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 110 बीघा 14 बिस्वा होते है जिसका वर्तमान में विखण्डन होकर मिन बटे खसरा नंबर अंकित हो गये है । अपीलांट के दादा स्व0 मांगू मूल खातेदार के फौत होने के उपरांत उनके तीन विधि वारिसान गुल्लाराम, श्योनारायण व रामलाल थे, जिनमें उपरोक्त आराजी का विभाजन होकर प्रत्येक वारिसान को 35 बीघा 11 बिस्वा 8 बिस्वांसी भूमि प्राप्त होती है । इस प्रकार अपीलांट/वादिया के पिता स्व0 रामलाल के हिस्से में 35 बीघा 11 बिस्वा 8 बिस्वांसी भूमि आती है । उक्त आराजी में अपीलांट का विरासतन नामांतकरण में इंद्राज न करके केवल मात्र स्व0

रामलाल की पैतृक कृषि आराजी में रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के पक्ष में विरासत का नामांतकरण इंद्राज कर दिया जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रचलित प्रावधानों के तहत अपीलांट धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान है । इस प्रकार अधिकार अभिलेख में अपीलांट के पिता का 1/3 हिस्सा इंद्राज था । रेस्पो0 स ंख्या 1 व 2 द्वारा खसरा नंबर 390/1 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा 11 बिस्वांसी में से रास्ते में भूमि समर्पण करने से खसरा नंबर 390/13 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा रास्ते में दर्ज हो गयी एवं खसरा संख्या 390/1 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा 11 बिस्वांसी वर्तमान अधिकार अभिलेख में इंद्राज है जिसमें से अलग–अलग प्रविष्टियां हो चुकी है । इस प्रकार अपीलांट के स्व0 पिता रामलाल की जायंदा पुत्री होने से उपरोक्त आराजी में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है । उपरोक्त आराजी में हिस्सा, स्वत्व अपीलांट वादिया का निहित होते हुए भी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा आपस में राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों को गलत सजरा प्रदत्त करके प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में स्व0 रामलाल की आराजी का विरासत नामांतकरण खुलवा लिया जो विधिक तौर पर शून्य है एवं अपीलांट के अधिकारों पर बेअसर है । इस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर वाद विधि वर्जित होने से निरस्त करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 31.1.2017 को रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट/वादिया का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वादग्रस्त आराजी बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में स्पष्टतः खसरा नंबर व रकबा अंकित किया गया है तत्पश्चात् वादपत्र की पैरा संख्या 5 में स्पष्टतः उल्लेखित कर दिया गया था कि वादिया के पिता के हिस्से में उक्त आराजी प्राप्त होती है जिसमें वादिया/अपीलांट का हिस्सा प्रतिवादी अर्थात् रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अनुसार बराबर–बराबर हिस्सा अंकित होना चाहिये था। इस प्रकार वाद पत्र के पैरा संख्या 9 में वादकारण एवं अंत में जो प्रार्थना चाही गई है उससे स्पष्ट वादकारण होना प्रकट होता है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने बिना विधिक विवेचन किये अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि सिविल प्रकिया संहिता एवं प्रचलित प्रावधानों के तहत प्रावधान किया यगा है कि किसी भी वाद को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज करने के पश्चात् उक्त आदेश की अलग से डिक्री तैयार की जानी चाहिये परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा कानून की महत्ती भूल कर उक्त प्रकरण में पर्चा डिक्री तैयार नहीं किया गया है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा पेश किया गया जिसमें अपीलांट द्वारा सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया इस कारण से वाद खारिज किया जावे जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा दिनांक 7.10. 2013 को पक्षकार संयोजित करने बाबत् आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना

पत्र पर आदेश पारित न करके विधिक प्रावधानों के विपरीत सीधे तौर पर अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में पक्षकार संयोजित करने एवं नहीं करने के बाबत् वाद खारिज नहीं किया जा सकता है । उक्त बिन्दू पर अधी0न्याया0 को तनकी कायम कर बाद साक्ष्य निर्णय किया जाना चाहिये था । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन आदेश में पृष्ठ संख्या 2 में स्पष्ट अंकित किया है कि मृतक खातेदार मांगू का हवाला देते हुए अंकित किया है कि उसका क्या संबंध रहा, उसके कितने वारिस रहे, कितने मौजूद है तथा उनकी क्या स्थिति है, किसी प्रकार का सजरा अंकित नही करते हुए वाद दायर किया है जबकि पृष्ठ संख्या 3 की तीसरी लाईन में अधी0न्याया0 ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादिया अपने वादपत्र में वादिया के पिता के हिस्से में 35 बीघा 11 बिस्वा भूमि आती है जिसमेमं वादिया, उसकी मॉ व भाई प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर–बराबर हिस्सा निहित है । उक्त तथ्य तनकी कायम कर बाद साक्ष्य निर्णित किये जाने योग्य थे । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारों के हित निहित हो वहां प्रकरण को तकनीकी आधार पर निर्णित न कर गुणावगुण पर निर्णित करना आवश्यक है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर वादी का वाद तकनीकी आधार पर निर्णित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । वादिया/अपीलांट ने अपने वाद में बंटवारे का अनुतोष भी चाहा है इसके बावजूद वादिया ने विवादित भूमि के अन्य सहखातेदारों को वाद में पक्षकार नहीं बनाया जबकि धारा 88 में आज्ञात्मक प्रावधान है कि सहखातेदारों एवं हितबद्ध पक्षकारों का वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । अपीलांट/वादिया ने वादपत्र में मांगू की आराजी होने का कथन किया है लेकिन उसकी मृत्यु कब हई, उसके कितने वारिसान है, कौन–कौन वारिसान है, मृतक का सजरा प्रस्तुत नहीं किया है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष स्पष्ट वादपत्र पेश नहीं किया तथा वादकारण भी स्पष्ट होना अंकित नही किया है । वादकारण के अभाव में वादिया का वाद चलने योग्य नहीं था । विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 विधिसम्मत् रूप से स्वीकार कर वादिया/अपीलांट का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डी0एन0जे0 2008 (3) पेज 1314, आर0आर0टी0 2006 (2) पेज 962, आर0आर0टी0 2005 (2) पेज 1206 एवं 1072, आर0आर0टी0 2006 (2) पेज 786, आर0आर0टी0 2003 पेज 585, आर0आर0टी0 2002 पेज 310 हाईकोर्ट, आर0आर0टी0 2006 पेज 226 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया/अपीलांट ने वादवर्णित आराजियात में स्वंय का 1/3 हिस्सा होने का कथन करते हुए अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पेश किया । उक्त वाद पेश होने पर रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिनांक 19.8.2013 को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया तथा दिनांक 7.10.2013 को जवाबदावा पेश किया । अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 30.1.2017 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादिया/अपीलांट का वाद वादकारण एवं सहखातेदारान को वाद में पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में वाद खारिज किया है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

वादिया/अपीलांट ने विवादित आराजियात में स्वंय का 1/3 हिस्से होने का कथन कर वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश किया है । रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने जवाबदावे में जो ऐतराज अंकित किये है वहीं ऐतराज प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में उठाये है । वादिया ने स्वंय को मृतक खातेदार रामलाल की पुत्री होने का कथन कर वादग्रस्त आराजियात में 1/3 हिस्से का अनुतोष चाहा है, वादिया का विवादित आराजियात में हक व हिस्सा है अथवा नहीं इसका निस्तारण तो वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर बाद साक्ष्य ही निर्धारित किया जाना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने जवाबदावा प्राप्त होने के बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद को सरसरी तौर पर बिना विवेचन किये खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारों के हित निहित हो वहां वाद को तकनीकी आधार पर निर्णित न कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय एवं रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.1.2017 एवं रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निरस्त किये जाते है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर, विवादित आराजियात के आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकारों को वाद में पक्षकार नियुक्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 17.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर